FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम (SDO) जायल

उदाराम बनाम मानाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111,128 RLRA नं. 228/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/08/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री घमण्डाराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14-09/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) जायल	
14/09/20	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत पास पास आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेतों के बिच जो पुरानी मार्ड व डोली आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु प्रार्थी का अपने खेत की पक्की नोयमनती करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नोयमनती आवेदन स्वीकार किया जाकर	

[signature]
14.9.2020
सहायक कलक्टर (SDO) जायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 18:35:48 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तकरण आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नामान्तकरण आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू अभि० निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्री नामान्तकरण मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
14.9.2020

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

न्यायालय उप...
.../ आवेदन / 2020 / 621
...त आवेदन संख्या –228 / 2020
प्रार्थी
श्री उदाराम पु...
16 जाति...
निवासी...

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 18:35:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

मांक/आवेदन/2020/621

राजस्व आवेदन संख्या –228/2020

दिनांक :– 14/09/2020

प्रार्थी — **बनाम** — **विप्रार्थीगण**

श्री उदाराम पुत्र नैनाराम वगैरा 16 जाति–जाट
निवासी–डोगियालों की ढाणी,
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

श्री मानाराम पुत्र पन्नाराम वगैरा 56,
निवासी–अणदाणियों की ढाणी
तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा–डोगियालों की ढाणी, पटवार मण्डल–बोड़वा, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 352, 353 रकबा क्रमशः 0.0324, 18.3319 हैक्टेयर, मौजा अणदाणियों की ढाणी पटवार मण्डल–बोड़वा के खेत खसरा नम्बर 347 रकबा 3.1713 हैक्टेयर, खारड़ा बेरा पटवार मण्डल बोड़वा के खेत खसरा नम्बर 476/138 रकबा 1.1164 हैक्टेयर व मौजा सुथारों की ढाणी पटवार मण्डल बोड़वा के खेत खसरा नम्बर 61 रकबा 14.7885 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/आवेदन/2020/622-626

दिनांक :– 14/09/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री उदाराम पुत्र नैनाराम वगैरा 16।
4. विप्रार्थीगण श्री मानाराम पुत्र पन्नाराम वगैरा 56।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 18:35:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु